

भारत में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षाशास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

शोध सार

सशक्तिकरण को एक सामाजिक वातावरण बनाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से निर्णय ले सकता है और विकल्प चुन सकता है। सशक्तिकरण ज्ञान, शक्ति और अनुभव प्राप्त करने के माध्यम से जन्मजात क्षमता को मजबूत करता है (हाशमी शुलर और रिले, 1996)। सशक्तिकरण व्यक्ति को स्वायत्त तरीके से सोचने, कार्रवाई करने और कार्य को नियंत्रित करने के लिए सक्षम या अधिकृत करने की प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भाग्य और अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ताकि हम महिला सशक्तिकरण और हाल के वर्षों में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के संदर्भ में शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज न कर सकें। समाज में स्थिति बदलने के लिए महिलाओं की शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। भारत में महिला शिक्षा समय की मांग है, क्योंकि शिक्षा महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। शिक्षा असमानताओं में भी कमी लाती है और परिवार के भीतर उनकी स्थिति में सुधार के साधन के रूप में कार्य करती है और भागीदारी की अवधारणा विकसित करती है।

मुख्य शब्द : शिक्षा, विकास, प्रवृत्ति, सशक्तिकरण, स्थिति, समाज, महिला सशक्तिकरण ।

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज, राज्य और राष्ट्र में ऐसे अनेक तत्व होते हैं जो अपने मूल अधिकारों से वंचित रहते हैं, लेकिन इन तत्वों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। यदि हम समाज से ऐसे तत्वों को सूचीबद्ध करें तो महिलाएं इस सूची में शीर्ष पर होंगी। दरअसल, महिलाएं हर समाज का सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं। इस बात से भले

ही हर कोई वाकिफ है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप आज के समाज में महिलाओं को जो महत्व दिया जाता था वह कम होता जा रहा है। महिलाओं को कम आंकने, उन्हें समाज में दोगुना स्थान पर रखने और उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की बढ़ती प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप, महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। भारत में महिला शिक्षा पर सरकार और नागरिक समाज दोनों का प्रमुख ध्यान है क्योंकि शिक्षित महिलाएँ देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षा महिला सशक्तीकरण का मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का जवाब देने, अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपना जीवन बदलने में सक्षम बनाती है। महिलाओं को सशक्त बनाना पूरी दुनिया में काफी चर्चा और ध्यान का केंद्र बन गया है। आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने के लाभों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमें वास्तव में यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे देश का प्रत्येक नागरिक वास्तव में स्वतंत्र है या सही अर्थों में स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। पूरी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताएं और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव एक सदियों पुराना मुद्दा है। इस प्रकार महिलाओं की पुरुष के साथ समानता की तलाश एक सार्वभौमिक घटना है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, विरासत, विवाह और राजनीति आदि के मामलों में पुरुषों के बराबर होना चाहिए। समानता की उनकी खोज ने कई महिला संघों के गठन और आंदोलनों की शुरुआत को जन्म दिया है। हमारे देश का संविधान पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है, लेकिन हमारे समाज ने महिलाओं को कुछ बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया है, जो उन्हें हमारे संविधान द्वारा दिए गए थे। सशक्तीकरण व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचाने, अपनी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में सुधार करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की अनुमति देता है। महिला शिक्षा का महत्व “यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, तथापि, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। “महिला सशक्त मतलब भारत माता सशक्त”। भारत में महिला शिक्षा देश के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती

है। यह न केवल आधे मानव संसाधनों के विकास में मदद करता है, बल्कि घर और बाहर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है।¹ अगर यह कहा जाए कि शिक्षा सभी समस्याओं की कुंजी है, तो यह अनुचित नहीं होगा। विचारकों ने शिक्षा की अनेक परिभाषाएँ दी हैं लेकिन इन परिभाषाओं में से सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा वह है जो एम. फुले ने प्रतिपादित की थी। एम. फुले के अनुसार, “शिक्षा वह है जो अच्छाई और बुराई के बीच अंतर प्रदर्शित करती है।” यदि हम उपरोक्त परिभाषा पर विचार करें तो हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, उनके आधार में शिक्षा है।² शिक्षा का अर्थ है मानसिकता, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण आदि हर पहलू में व्यवहार का संशोधन। शिक्षित महिलाएं न केवल अपनी बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, बल्कि अपने सभी बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा शिक्षित महिलाएं शिशु मृत्यु दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि में भी मदद कर सकती हैं। भारत में लैंगिक भेदभाव अभी भी कायम है और भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। पुरुष-महिला साक्षरता दर में अंतर महज एक साधारण संकेतक है। जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% से अधिक है और महिला साक्षरता दर मात्र 65.46% है। (बी)। महिलाओं को केवल गृहिणी माना जाता था और घर में रहना ही बेहतर था।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का जवाब देने, अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपना जीवन बदलने में सक्षम बनाती है। किसी भी समाज, राज्य या देश में महिला सशक्तिकरण अहम हिस्सा है। एक महिला ही बच्चे के बुनियादी जीवन में प्रमुख भूमिका निभाती है। महिलाएँ हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा एक सकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन ला सकती है। इसलिए, यह भारत की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान राज्य को महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीकों और साधनों के लिए सकारात्मक उपाय अपनाने का अधिकार देता है। शिक्षा महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव लाती है।³ महिला सशक्तिकरण एक

वैश्विक मुद्दा है और महिलाओं के राजनीतिक अधिकार पर चर्चा दुनिया भर में कई औपचारिक और अनौपचारिक अभियानों में सबसे आगे है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा 1985 में NAROIBI में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पेश की गई थी। इसलिए हम महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। महिला शिक्षा में विकास को देखने के लिए भारत को हाल के वर्षों में दुनिया की उभरती महाशक्ति माना जाता है। महिला शिक्षा में बढ़ते बदलाव, महिलाओं के सशक्तिकरण को महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने में केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महाशक्ति बनने के लिए हमें ज्यादातर महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिससे महिला सशक्तिकरण पर बल मिलेगा।

शैक्षिक समानता में महिला सशक्तिकरण

वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के नामांकन के क्षेत्र में महिलाओं की समानता में एक बड़ा सुधार देखा गया है। साक्षरता अभियानों में महिलाओं की अधिक भागीदारी के परिणामस्वरूप, साक्षरता स्तर में लिंग अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नवसाक्षर परिवारों में लड़कों और लड़कियों के नामांकन में गैर-साक्षर परिवारों की तुलना में असमानता बहुत कम है।¹¹ दुनिया ने लड़कियों और लड़कों के बीच प्राथमिक शिक्षा में समानता हासिल कर ली है। लेकिन कुछ ही देशों ने शिक्षा के सभी स्तरों पर वह लक्ष्य हासिल किया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती जा रही है। जनवरी 2014 में, 46 देशों में कम से कम एक सदन में 30% से अधिक संसद सदस्य महिलाएँ थीं। कई देशों में, लिंग समानता कायम है और महिलाओं को शिक्षा, कार्य और आर्थिक संपत्तियों तक पहुंच और सरकार में भागीदारी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।¹² महिलाओं और लड़कियों को हर उस क्षेत्र में बाधाओं और नुकसान का सामना करना पड़ता है जिसमें हम काम करते हैं। दुनिया भर में 62 मिलियन लड़कियाँ स्कूल नहीं जातीं। विश्व स्तर पर, 3 में से 1 महिला को अपने जीवनकाल में लिंग आधारित हिंसा का अनुभव होगा। विकासशील देशों में, 7 में से 1

लड़की की शादी उसके 15वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती है, कुछ की बाल वधू तो 8 या 9 साल की उम्र में होती है। हर साल 287,000 से अधिक महिलाएं, जिनमें से 99 प्रतिशत विकासशील देशों में हैं, गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण मर जाती हैं। जबकि कृषि श्रम शक्ति में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, केवल 3 से 20 प्रतिशत ही भूमिधारक हैं। अफ्रीका में, महिला-स्वामित्व वाले उद्यम सभी व्यवसायों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। दक्षिण एशिया में यह संख्या केवल 3 प्रतिशत है। और आधी वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, महिलाएं दुनिया के 20 प्रतिशत से भी कम विधायकों से समझौता करती हैं। महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों और लड़कों के साथ समान स्तर पर रखना हर उस क्षेत्र को बदलने की शक्ति रखता है जिसमें हम काम करते हैं।¹³ लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विकास का हिस्सा नहीं है बल्कि विकास के मूल में है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें महिलाओं और लड़कियों के समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर कुछ शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम बनाने होंगे।

समाज में महिलाओं की भागीदारी का महत्व

भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आज भी काफी महत्वहीन है, लेकिन 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों से कुछ सुधार हुआ, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को अवसर देकर राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा मिला।⁹ भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1993) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। इसका उपयोग किसी एजेंसी द्वारा समर्थन के लिए और कानून-निर्माताओं द्वारा नियंत्रण उपकरण के रूप में किया जा सकता है। भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है यह राजनीतिक, सामाजिक या प्रशासनिक प्रकृति का हो सकता है। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कई रूप ले सकती है। यह उन सभी गतिविधियों को संदर्भित करता है जो प्रक्रियाओं और प्रशासन में

महिलाओं की भागीदारी को दर्शाती हैं, यानी नीति निर्माण और कार्यक्रम नियोजन, कार्यान्वयन और विकास लक्ष्य समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भागीदारी।⁷ भारतीय महिलाएं तब से राजनीति से जुड़ी हुई हैं स्वतंत्रता-पूर्व काल. वे स्वयंसेवक और नेता दोनों के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थे। स्वतंत्रता पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 ने कानून के तहत महिलाओं को समानता की गारंटी दी। यद्यपि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देता है, फिर भी भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी मामूली है। सच तो यह है कि केंद्र और राज्य स्तर पर महिलाओं के हाथों में शक्ति का अभाव है। यह दुखद स्थिति है कि भारत की लगभग आधी आबादी का लोकसभा में केवल 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। वर्तमान राज्यसभा में कुल 233 सांसदों में से 21 महिलाएँ हैं, जो कि केवल नौ प्रतिशत है, जो लोकसभा से भी कम है। सामाजिक स्तर पर संसद, नौकरशाही, न्यायपालिका, सेना, पुलिस सभी में पुरुष प्रभुत्व लैंगिक असमानता की ओर इशारा करता है, इस तथ्य के बावजूद कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं का राजनीतिक नेतृत्व अधिक सहयोगात्मक और कम संघर्ष-प्रवण दुनिया लाएगा। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों की कमी महिलाओं की पराधीन और असमान स्थिति को बढ़ाती है।⁸ आजादी के बाद, अपना संविधान होने के बावजूद, भारत निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय जैसी नैतिकता हासिल करने में सक्षम नहीं था। कुछ वर्षों तक महिला प्रधान मंत्री रहने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। दुनिया भर की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 1970 के दशक के मध्य से महत्व मिलना शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 1975 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया।

निष्कर्ष और सुझाव

सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने में लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, राज्य में विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार, पंचायतों, सार्वजनिक मामलों आदि में भागीदारी का विचार विकसित

करती है। महिलाएं किसी राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने और विकास की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे राष्ट्रीय सुधार के लिए आवश्यक जीवंत मानवता की आवश्यक संपत्ति हैं, इसलिए यदि हमें अपने देश में महिलाओं का उज्ज्वल भविष्य देखना है, तो उन्हें शिक्षा देना एक पूर्व-व्यवसाय होना चाहिए।

सशक्तीकरण का अर्थ

- किसी शक्ति को निष्पादित करने के लिए कमजोर स्थिति से आगे बढ़ना। महिलाओं की शिक्षा समाज की स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा असमानताओं में भी कमी लाती है और परिवार के भीतर उनकी स्थिति में सुधार के साधन के रूप में कार्य करती है।
- व्यक्तिगत नियंत्रण या प्रभाव की मनोवैज्ञानिक भावना और वास्तविक सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति और कानूनी अधिकारों से संबंधित चिंता है, यह व्यक्तियों, संगठनों और समुदाय को संदर्भित करने वाला एक बहुस्तरीय निर्माण है। यह एक अंतरराष्ट्रीय, चल रही प्रक्रिया है जो स्थानीय समुदाय पर केंद्रित है, जिसमें आपसी सम्मान, आलोचनात्मक प्रतिबिंब, देखभाल और समूह की भागीदारी शामिल है, जिसके माध्यम से मूल्यवान संसाधनों के बराबर हिस्से की कमी वाले लोगों को इस पर नियंत्रण तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है।

सन्दर्भ

- बरुआ, बी. (2013)। पूर्वोत्तर की ग्रामीण महिला शिक्षा को सशक्त बनाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका भारत। अभिव्यक्ति: वार्षिक पत्रिका, 1, 23–26।
- कदम, आर.एन. (2012)। भारत में महिलाओं का सशक्तीकरण— लिंग अंतर को भरने का एक प्रयास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, 2(6), 11–13।

- नागराजा, बी. (2013)। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (आईओएसआर-जेएचएसएस), 9(2), 45–52
खडब्यूडब्यूडब्यू पेज,। यूआरएल [जिजचू.प्वेतरवनतदंसे.व्हध्मउचवूमतउमदजीजउस.](#)
- देशपांडे, एस., और सेठी, एस., (2010)। भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की भूमिका और स्थिति। इंटरनेशनल रेफर्ड रिसर्च जर्नल, 1(17), 10–12।
- बी सी मेहरोत्रा, करिश्मा (2 फरवरी 2021)। “बजट 2021 में प्रमुख योजनाएं: वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़ी बढ़ोतरी”। इंडियन एक्सप्रेस। 8 अप्रैल 2022 को लिया गया।
- जैन, अभिषेकय रामजी, आदित्य (2016)। “भारत में केरोसीन सब्सिडी में सुधार: बेहतर विकल्पों की ओर” (पीडीएफ)। सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद।
- विभूति गर्गय श्रुति शर्माय कीरन क्लार्कय रिचर्ड ब्रिडल (मई 2017)। “भारत में केरोसिन सब्सिडी: यथास्थिति, चुनौतियाँ और सुधार का उभरता मार्ग” (पीडीएफ)। सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।
- “सरकार ने मामूली मूल्य वृद्धि के माध्यम से केरोसिन पर सब्सिडी समाप्त कर दी”। बिजनेस टुडे। पीटीआई. 2 फरवरी 2021। 23 अप्रैल 2022 को लिया गया।
- स्वरूप, अनिल (21 फरवरी 2020)। “किसी सरकारी योजना की सफलता क्या निर्धारित करती है”। द हिंदू बिजनेसलाइन। 7 अप्रैल 2022 को लिया गया।